Regd

# राजस्थान सरकार
# निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज0, जयपुर

डॉ0 राधाकृष्ण शिक्षा संकुल परिसर मदरसा बोर्ड भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर, राज0

क्रमांकः एफ 1(1)/संस्थापन/असमावि/क.सहा./भर्ती/2018/ दिनांक :

## कार्यालय आदेश

प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग, जयपुर के पत्र क्रमांक प.1(6)प्र.सु./अनु.–3/2017 दिनांक 01.06.2018 की अनुपालना में राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित कनिष्ठ लिपिक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2013 में माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी.बी. सिविल याचिका संख्या 1379/2014 एवं डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1653/2015 एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13938/2016 एवं एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 5314/2017 व अन्य समकक्ष रिट याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 03.02.2016 एवं एस.बी.सी. रिट पीटिशन संख्या 4043/2018 गजेन्द्र सिंह बनाम राज्य पारित अन्तिम आदेश दिनांक 29.05.2018 की अनुपालना में नीचे अंकित सारणी में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु अल्पसंख्यक मामलात विभाग को आवंटन किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान सेवा नियम एवं राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के नियम 38 के अन्तर्गत इनके नाम के सम्मुख अंकित कार्यालय में कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक 7(2)डीओपी/क–2/ 2005 दिनांक 20.01.2006 एवं वित्त (नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 1(2)वित्त/नियम/2006 दिनांक 13.03.2006 में उल्लेखित शर्तो पर 02 वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु ट्रेनी (Probationer Trainee) के रूप में वित्त (नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक 12(6)वित्त/नियम/05 दिनांक 13.03.2006, एफ 14(1)वित्त/नियम/2013/पार्ट दिनांक 08.06.2015 एवं राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम–2017 के आदेश क्रमांक एफ (15)(1)वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 के प्रावधानों के अन्तर्गत स्थिर पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) रूपये 14600/– प्रतिमाह एवं तत्पश्चात् राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के नियम 17 के अनुसरण में इनके द्वारा 02 वर्ष का परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु ट्रेनी की कालावधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर पे मैट्रिक लेवल–5 में अद्योलिखित शर्तों पर क्लर्क ग्रेड।। के पद पर कार्यभार संभालने की तिथि से एतद्द्वारा नियुक्त किया जाता है।

| क्र. सं. | रोल नम्बर | मेरिट नम्बर | नाम अभ्यार्थी | पिता का नाम | वर्ग | जन्म दिनांक | पदस्थापन स्थान का नाम निदेशालय/जिला कार्यालय |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | *332416* | *1796* | *श्री अंशुल जैन* | *श्री देवेन्द्र जैन* | BC | 27.01.1990 | जैसलमेर |
| 2 | *335137* | *3140* | *श्री विक्रम सिंह चौधरी* | *श्री रामदास चौधरी* | BC | 06.04.1991 | पाली |

श्री अंशुल जैन एवं श्री विक्रम सिंह चौधरी की वरियता सूची में वरियता क्रमांक राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी मैरिट के अनुसार यथावत रहेगी।

प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग के निर्देशानुसार उपरोक्त सारणी में अंकित अभ्यर्थियों द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग को नियुक्ति हेतु भर कर प्रेषित किये गये आवेदन फार्म में अंकित इनकी जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियों का सत्यापन इनके मूल दस्तावेजों से कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त उपरोक्त अभ्यार्थियों से निम्नांकित प्रमाण पत्र/दस्तावेज मूल ही प्राप्त कर लिये गये है :–

- उक्त अंकित अभ्यर्थियों के पुलिस सत्यापन संबंधित पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त से प्राप्त हो गये है।
- मूल चिकित्सा प्रमाण पत्र।
- अभ्यर्थी के स्तर पर कराया गया पुलिस सत्यापन।
- 01.06.2002 के पश्चात दो से अधिक संतान नहीं होने संबंधी शपथ पत्र।
- दहेज ना लेने एव ना ही देने संबंधी शपथ पत्र।

1. उपरोक्त अभ्यर्थियों को निर्देश दिये जाते है कि वे आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस के अन्दर–अन्दर अपना पद का कार्यभार सम्भालना होगा। किसी कारणवश 15 दिवस में उक्त पद का कार्यभार संभालने में असमर्थ हो तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सूचित कर देवें कि ये कब तक कार्यभार संभालेगें/निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं संभालनें अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।

निरन्तर–पेज– 2

2. उपरोक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार अभ्यर्थी से संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी चरित्र संबंधी सदाचरण रिपोर्ट प्राप्त की जावें। यदि अभ्यर्थी चरित्र सदाचरण रिपोर्ट कार्यग्रहण के समय प्रस्तुत नहीं करता है तो भी आचरण की जॉच का इंतजार नहीं किया जावें एवं अभ्यर्थी से सदाचरण संबंधी शपथ पत्र (Undertaking) प्राप्त कर कार्यग्रहण करवाया जावें। यदि बाद में पुलिस सत्यापन में अभ्यर्थी के आचरण के विरूद्ध प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त होने पर अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त समझी जावेंगी। यदि किसी अभ्यर्थी की उनको पूर्व में आवंटित विभाग द्वारा जॉच करवा ली गई है तथा जो अभ्यर्थी पहले से ही राज्य सेवा में कार्यरत है, तो उनका पुनः सत्यापन करवाया जाना आवश्यक नहीं है।

3. उपरोक्त अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fix Pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी।

4. यदि सारणी में अंकित उपरोक्त अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है, उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते देय होगें, परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Throgh Proper Channel) से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

5. उपरोक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति तिथि कनिष्ठ सहायक (लिपिक ग्रेड।।) के पद पर कार्यग्रहण की तिथि से मान्य होगी।

6. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान (नियम) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ12(6)एफडी/रूल्स/05 दिनांक 13.03.2006, 6(6)एफडी/2005 दिनांक 13.03.2006, 1(2)एफडी/2006 दिनांक 13.03.2006, 13(1)एफडी/2003 दिनांक 13.03.2006 एवं राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के आदेश कमांक एफ 15(1)वित्त/ नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 के नियम 16 की अनुसूची–पअ के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) के हकदार होगे। इसके अतिरिक्त अन्य भते यथा–मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता आदि देय नहीं होगें। यह पारिश्रमिक माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में हुए निर्णय के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में की गई एस.एल.पी. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा।

7. परिवीक्षाकाल (Probation Period ) में इन्हें कोई वार्षिक वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।

8. यदि उपरोक्त अभ्यर्थियों का कार्य एवं आचरण परीवीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परिवीक्षाकाल की समाप्ति पर संतोषप्रद नहीं पाया गया, उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय पृथक किया जा सकेगा।

9. यह नियुक्ति पूर्णतयाः अस्थाई आधार पर है, परन्तु राज्य सरकार इनके कार्य एवं आचरण की रिपोर्ट के आधार पर एवं अन्य रूप से स्थाईकरण के लिए उपयुक्त समझे जाने की दशा में जब कभी भी स्थाई रिक्त पद उपलब्ध होगें, इनको कनिष्ठ सहायक (लिपिक ग्रेड।।) के पद पर राजस्थान अधीनस्थ लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 के नियम 39 के अन्तर्गत स्थाई आधार पर नियुक्त कर सकेगें।

10. दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरांत ही इनका नियमानुसार वेतन निर्धारण कर अन्य भत्ते देय होगें।

11. परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में उपरोक्त अभ्यर्थियों को आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के अवकाश देय नहीं होगें।

12. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या एफ 13(1)वित/नियम/2003 दिनांक 28.01.2004 एवं 27.03.2004 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होगें एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो उनके अधीन ही सेवा एवं सेवालाभ देय होगें।

13. यदि उपरोक्त अभ्यर्थियों के दस्तावेजों में कोई कमी अथवा फर्जी पाये जाते है तो इनकी सेवाऐं तत्काल समाप्त कर दी जावेगी।

निरन्तर–पेज–3

14. उपरोक्त अभ्यर्थियों की जन्मतिथि इनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है। अंकित की गई जन्मतिथि अपरिवर्तनीय होगी।

15. चयनित अभ्यर्थियों के अपने से वरिष्ठ/कनिष्ठ के पूर्व में एवं बाद में कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति में इनकी वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा। इनकी वरिष्ठता का निर्धारण राजस्थान लोक सेवा आयोग से मेरिट सूची के आधार पर ही होगा।

16. उपरोक्त अभ्यर्थियों को कार्यभार संभालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

17. कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3)कार्मिक/क–2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबद्धता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावें।

Sd/-
(कैलाश बैरवा)
निदेशक

क्रमांकः एफ (48)/संस्थापन/असमावि/2013/ 9439-51 दिनांक 12-6-2018

<u>प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–</u>

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. संयुक्त शासन सचिव कार्मिक (नियम) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग को पत्र क्रमांक प.1(6)प्र.सु./अनु–3/ 2017 दिनांक 08.02.2018 एवं प.3(6)प्र.सु./अनु–3/2018 दिनांक 01.06.2018 के क्रम में।
6. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर।
7. अतिरिक्त निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर।
8. समस्त कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, राजस्थान।
9. वरिष्ठ लेखाधिकारी कार्यालय हाजा।
10. संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी,................................. को भेजकर निर्देश है कि नव नियुक्त कनिष्ठ सहायक (लिपिक ग्रेड–II) को कार्यभार ग्रहण कराते हुए कार्यग्रहण रिपोर्ट निदेशालय को भिजवाना सुनिश्चित करें, साथ ही यह भी निर्देश है कि आपके कार्यालय में स्वीकृत पदों की सीमा से अधिक पदस्थापन की स्थिति में संविदा पर कार्यरत कनिष्ठ सहायक की संविदा सेवाएँ अथवा MWM की सेवाएँ नव नियुक्त नियमित कार्मिक के कार्यग्रहण करने के साथ ही स्वतः समाप्त मानते हुंए तत्काल कार्यमुक्त करने की व्यवस्था सुनिश्चित करे ।
11. लेखा शाखा, कार्यालय हाजा।
12. संबंधित अभ्यर्थी श्री/श्रीमती ..........................................................................................
13. सूचना सहायक कार्यालय हाजा को प्रेषित कर निर्देश है कि विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
14. रक्षित पत्रावली कार्यालय हाजा।

(अनीता मीना)
अतिरिक्त निदेशक